10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0JAA 832110

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 5,24,975/ रूपये
स्टाम्प पेपर अंकन : 52,500/ रूपये

मैं/हम कि विनोद पुत्र श्री अतरू निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर,(फरीक अव्वल/विक्रेता /विक्रेतागण) ।

एवम

श्री रवि कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (फरीक दोयम/केता) ।

ejendra Singh
Advocate
Civil Court
GHAZIABAD

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

1 [illegible]

स्टाम्प नं. [illegible] रू. 10 नाम [illegible]
स्टाम्प नं. [illegible] में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

[illegible]

5.249752/- 5000/-

[illegible] मूल्य [illegible]
[illegible] 600
श्री [illegible]
पुत्र [illegible]
निवासी [illegible]
के कार्य [illegible]
[illegible] 10/06
[illegible] 2 [illegible] किया।

[illegible]
11/06/06

[illegible]

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0JAA 832131

(2)

विक्रीत भूमि का विवरण

स्थित ग्राम दुर्याई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 358 के खसरा नं0 129ख रकबई 0.3290 व खसरा संख्या 252ग रकबई 0.1770 कुल दो किता रकबई 0.5060 हैक्टेयर का 1/4 भाग अर्थात 0.1265 हैक्टेयर ।

1. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसका सरकारी सर्किल रेट 11,00,000/- रूपया प्रति हैक्टेयर लेकिन इस विक्रय पत्र में सर्किल रेट से अधिक रूपया 41,50,000/- रूपया प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 5,24,975/- रूपये (पाँच लाख चौबीस हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपए मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है

2. विक्रेता अनुसूचित जाति का है। विक्रेता ने इस आशय का श्रीमान तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति से/का है ।

1

स्टाम्प नं०..... स्टाम्प नं०..... में शामिल किया गया

उप. रोकड़िया

विक्रेता पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

उप. रोकड़िया

11/10/06

सत्यमेव जयते

साक्षी ... प्रतीत होते हैं जिनके ... नियमानुसार लिए गये हैं

उप निबन्धक

सदर, ...

11/10/06

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01AA 332112

(3)

3. यह कि विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे की भूमि थी जिसका विक्रेता (फरीक अव्वल) संक्रमणीय भूमिधर हो चुका है । इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद नही हैं ।

4. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

5. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है।तत्समय विक्रेता/विक्रेतागण/फरीक अव्वल ने क्रेता से पेशगी में बजरिये सिंडीकेट बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, का चैक नम्बर 222759 दिनांकित 14.09.2005 अंकन 45,000/–रूपये (पैंतालीस हजार रूपए मात्र) तथा नगद 9,000/-रूपये (नौ हजार रूपए मात्र) दिनांक 4.09.2005 प्राप्त कर लिये थे ।

स्टाम्प नं०.......दि०.......सन्
स्टाम्प नं०६ 1 में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01AA 832[illegible]3

6. विक्रीत भूमि स्वत्त आज दिन तक मुझ /हम फरीक अव्वल (विक्रेता/विक्रेतागण) की ओर से हर प्रकार के बंधक भार व सरकारी देनदारी, इकरारनामा, विक्रय, वसीयत आदि दावों से मुक्त है कहीं अन्य जगह आड, रहन बय, डिग्री महाराजाधिराज व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजि रूप से ग्रस्त नही है और न ही इस बाबत कोई मामला किसी न्यायालय/कार्यालयों में विचाराधीन है ।

7. मुझ/हम विक्रेता/विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 358 के खसरा नं0 129ख रकबई 0.3290 व खसरा संख्या 252ग रकबई 0.1770 हैक्टेयर कुल दो किता अर्थात 0.5060 हैक्टेयर का 1/4 भाग अर्थात 0.1265 हैक्टेयर, स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजि आवश्यकताओं हेतु रुपयों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है जो स्वयं भी अनुसूचित जाति से है । अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व

स्टाम्प नं० ... में शामिल किया गया

उप. निबंधक

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

10000 रु. Rs.10000
दस हजार रुपये
RUPEES TEN THOUSAND
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

0 AA 832114

स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में समस्त मालिकाना, काबिजाना, अधिकार जो कुछ भी मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशि अंकन रूपया अंकन 5,24,975 रूपये (पाँच लाख चौबीस हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपए मात्र) जिसके आधे अंकन 2,62,487.50/-- (दो लाख बासठ हजार चार सौ सतासी रूपए पचास पैसे मात्र) होते है, एवज में हाथ फरीक दोयम केता उपरोक्त श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर को बय कर दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि में से अवशेष रकम अंकन 4,70,975/-(चार लाख सत्तर हजार नौ सौ पिचहत्तर रूपये मात्र) बजरिये चैक नम्बर 011418 दिनांकित 10.08.2006 का पंजाब नैशनल बैंक दयानन्द नगर गाजियाबाद के मुझ विक्रेता ने केता से प्राप्त कर ली है और कोई धनराशि बाकी नही रहती है ।

8. विक्रीत भूमि का कब्जा मौके पर केता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया जिसके केता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि से सम्बन्ध सुखाधिकारों सहित जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में लाये ।

विनोद कुमार

10 AUG 2006

कार्यान्वित किया गया

सत्यमेव जयते

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

06414

(6)

9. विकेता, विकीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण कराकर बजरिये बैनामी दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर केता का नाम दर्ज करवायेगा या वह स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नही होगा और न ही है । अब विकय पश्चात विकीत भूमि की मिलाकियत भूमि में निहित हित, व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विकेता व वारिसान विकेता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है और न कभी रहेगा ।

10 विकीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विकेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार केता या स्थापनापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा उसका कोई अंश केता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हरजे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

10 AUG 2006
रजिस्टर नं०...
हस्ताक्षर ... ... दाखिल किया गया
ह०. रोकड़िया

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

064150

11. यह कि फरीक अव्वल ने विक्रित भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज (वसीयत, मूल पट्टा व न्यायालय के अपेक्षित आदेशों की प्रमाणित प्रति आदि) तथा प्रमाणित खसरा, खतौनी, जाति, प्रमाण पत्र, तथा बारह साला जो विक्रेता के पास उपलब्ध हैं, उन्हे क्रेता को सौंप देगा।

12. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया हैं।

विनोद कुमार

10 AUG 2006

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

500 Rs.

13. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढ़कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया हैं कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

विनोद कुमार

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
निवासी ग्राम [illegible] परगना [illegible]
तहसील– दादरी
जिला– गौतम बुद्ध नगर

गवाह नं0 2

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
निवासी ग्राम [illegible] परगना [illegible]
तहसील– दादरी
जिला – गौतम बुद्ध नगर

तहरीर दिनांक 10.08.2006 मसौदाकर्ता तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद ।

Tejendra Singh
Advocate
Ch. No. 207, Civil Court
GHAZIABAD (U.P.)

स्टाम्प नं०...[illegible]...रू०..[illegible]..
स्टाम्प नं०..[illegible] शामिल किया गया
उप. रजि.

क्रमांक दिनांक ...11/8/06...... का फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या...I... जिल्द संख्या 184
के पृष्ठ...127...
...172...पर क्रमांक संख्या...11429
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी

दादरी
सत्यमेव जयते

FORM NO. 29
(RULE 827)
CERTIFICATE OF SEARCH

Certificate No. 684/05
Application No. 841/05

Shri [illegible] here applied to me for a Certificate given particulars of registered acts and encumbrance if any in respect of the under mentioned [illegible]

(To be soats & described as given in the application)

I have certify that search has been made in book and in the annexed relating have to from the year 1994 to the year 17/9/05 for ract and encumbrances efficient the said property and that on such the following facts and encumbrances

No.	Description of the property is given in the documents	date of execution	Tenure & value of document	Name of the Parties Execution claimed	Reference No Year
[illegible]					

I also certify that have there aforesaid act and encumbrances on the acts affecting the said prepares have been found

Prepared by: [illegible]
(Lignatuto)
Designation

Signature of Registrar
[illegible]

Office: Dadri
Date : 28.10.05

SEAL

NOTES

1. The acts and encumbrances shown in this certificate at those discovered with reference to the described in request read documents in cannot different from law in which the applicant has described those transaction evidenced by such documents will not be included in the certificate.
2. The required search has been made as carefully as possible by office but the department will not be held accountable itself responsible for or ors in the result of seface ebodied in the certificate
3. This certificate does not include documents if any which has been presented but have been registered up to date.

शजरा खसरा .... ग्राम .... परगना .... तहसील दादरी .... जिला गौतम बुद्ध नगर बाबत साल 2022 ......

बंदोबस्त चकबंदी के नंबर	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी खाते के वर्गीकरण (भाग 1) के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के (भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	भूमि (फसली भूमि) का क्षेत्रफल: खरीफ – फसल का नाम	खरीफ – सींचा हुआ	खरीफ – अन सींचा	रबी – फसल का नाम	रबी – सींचा हुआ	रबी – अन सींचा	जायद – फसल का नाम	जायद – सींचा हुआ	जायद – अन सींचा	सींचा हुआ	अन सींचा	मिलान खसरे के अनुसार आवृत्ति भूमि का ब्यौरा – भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे बड़े हुए वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0.966	352	निरंकार आदि अनु. नं. [illegible]	—	[illegible]	[illegible]	.966	—	[illegible]	.966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

[illegible] अनुसार [illegible]

Amit Kumar

(लेखपाल)

तहसील-दादरी

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक PNB

छपरौला

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं 269 खसरा नं0 129 / 252 रकबा 0.1718 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौ0 बु0 नगर मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै0 उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं हैं ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

विनोद S/o आनन्द

ग्राम – दुरियाई

गौ0 बु0 नगर

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक U.P Sahkari Vikas bank LTD

DADRI

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं [illegible] खसरा नं0 [illegible] रकबा [illegible] स्थित ग्राम दुरियाई .... परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै0 उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं हैं ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

विनोद S/o [illegible]

ग्राम - दुरियाई

(गौ० बु० नगर)

1952

जाति प्रमाण पत्र

(उ०प्र० अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए)

प्रमाण पत्र संख्या 01271020115087l909

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद पुत्र श्री अतरू नियासी गांव/नगर दुरयाई तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ०प्र० राज्य की बाल्मीकी जाति के व्यक्ति हैं। जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ई० जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ। संविधान (अनुसूचित जन–जाति उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री विनोद तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गांव/नगर दुरयाई तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में सामान्यतया रहता है।

यह प्रमाण–पत्र राजस्व निरीक्षक, बिसरख की तसदीक पर जारी किया गया है।

स्थान दादरी

दिनांक 07-04-2006

कार्यालय की मुहर सहित

तहसीलदार
दादरी

उद्धरण खतौनी

6/6203

ग्राम क्रमांक : 71020115087 ग्राम का नाम : बुरथाई परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1411-1416 भाग : 1

5

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौरुसिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा का उल्लेख रोकड़ उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------2--------			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 2	भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00358	रामफूल ओमपाल *विनोद *सुन्दर	अतरू अतरू अतरू अतरू	नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम	पू1395फ पू1395फ	129ख 252ग	0.3290 0.1770		1- उपजिलाधिकारी के आदेश दि017-3-97 के क्रम से खातेदार को सं0 भूमि द्वारा भूमिधर घोषित किया जाता है। ह0आर0के0/लेख0 6-8-04 आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक मि.न.1017/26-9-06 को आदेश हुआ कि खा.स. 358 के खा.न. 129ख/0.3290 252ग/0.1770है. कुल 0.5060है. का 1/4भाग 0.1265 है. विक्रेता विनोद पुत्र अतरू नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता रवि कुमार पुत्र तारा नि.ग्राम का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 28-5-2007 आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक मि.न.956/11-9-06 को आदेश हुआ कि खा.स. 358 के खा.न. 252ग/0.1770 है. का 1/4 भाग 0.04425है. से विक्रेता रामफूल पुत्र श्री अतरू नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता रवि कुमार पुत्र श्री तारा नि.ग्राम का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 28-5-2007	

कुल गाटे : 2 कुल क्षे : 0.5060 14.75

Jarul 16.6.07

हस्ताक्षर